

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(3)(1)पंचा/रानिआ/13/ 276

जयपुर, दिनांक: 07/01/15

प्रेषक:

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषित:

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर पंचायत),
राजस्थान।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2015 - मतदान दिवस को
अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में।

संदर्भ:- आयोग का पत्रांक 6727 दिनांक 24.12.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पंचायत आम चुनाव 2010 में मतदान दिवस को
अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये थे (प्रति संलग्न)।

आम चुनाव 2015 में भी संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सम्पन्न
करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(सत्यप्रकाश बसवाल)

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

07/01/15

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक एफ.7(7)(14)पंचा/रानिआ/99/ 6727

जयपुर दिनांक: 24.12.09

प्रेषक:

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर

प्रेषित:

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलेक्टर)

विषय: पंचायती राज संस्थाओं के लिए आम चुनाव-2010-मतदान दिवस
को अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ.4 (2)(1) पं.चु./ नपा/ 94/4489 दिनांक 6.1.2000 की पैरा 6 के खण्ड (iv) में यह उपबन्धित किया गया है कि किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधी क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जायेंगे तथा उक्त पैरा के खण्ड (v) में यह उपबन्धित है कि मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2 x 5 फिट से अधिक नहीं होगा।

अतः मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधी क्षेत्र में आयोग द्वारा प्रतिबन्धित किये गये पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जा सकें, इस प्रयोजनार्थ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश दिये जाते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधी क्षेत्र में अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले ऐसे निर्वाचन बूथों के संबंध में निम्नांकित प्रतिबन्ध भी लागू रहेंगे :-

- (1) अभ्यर्थी के द्वारा अधिकतम एक मेज़ एवं दो कुर्सियाँ लगाई जा सकेंगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए 'छाता' या 'त्रिपाल' लगाया जा सकता है लेकिन साईडों में 'कनात' या 'टेन्ट' लगाने की अनुमति नहीं होगी।

- (2) ऐसे निर्वाचन बूथ का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जायेगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड सं. एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा।
- (3) ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जायेगी और ऐसे किसी व्यक्ति को वहाँ खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसने कि अपना मत दे दिया हो।
- (4) ऐसे निर्वाचन बूथों पर किसी मतदाता को अपनी इच्छा से मत देने से रोकने के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा और ना ही अन्य अभ्यर्थियों के बूथों से आने वाले मतदाताओं के आने जाने में बाधा पहुँचायी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटाया जायेगा एवं आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

कृपया सभी संबंधित को पालना हेतु निर्देशित करें।



सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।